



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 11 सितम्बर, 2024 / 20 भाद्रपद, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 5 सितम्बर, 2024

संख्या वि०स०-विधायन-विधेयक/1-89/2024.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत निम्नलिखित विधेयक जो आज दिनांक 125—राजपत्र/2024-11-09-2024 (5699)

05 सितम्बर, 2024 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुके हैं, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

1.	हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 7)।
2.	ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 8)।
3.	ए. पी. जी. (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 9)।
4.	अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 10)।
5.	अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 11)।
6.	बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साईंसिज एण्ड टेक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 12)।
7.	बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 13)।
8.	श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 14)।
9.	दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंश्ल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया (ICFAI विश्वविद्यालय) (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 15)।
10.	चितकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 16)।
11.	इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 17)।
12.	महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 18)।
13.	शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 19)।
14.	कॅरिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 20)।
15.	आई.ई.सी (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 21)।
16.	मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 22)।
17.	महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 23)।

हस्ताक्षरित /—  
सचिव,  
हि0 प्र0 विधान सभा।

2024 का विधेयक संख्यांक 7.

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 13 का संशोधन।

**हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024**

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

**1. संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

**2. धारा 13 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 13 की उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(3) आयोग प्रत्येक विश्वविद्यालय की बाबत प्राइवेट विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष आयोग को यथा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों पर उसकी सिफारिशों को राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जो उसे विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।”।

**उद्देश्यों और कारणों का कथन**

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग की स्थापना हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन राज्य में एक विनियामक तंत्र प्रदान करने और प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान और छात्रों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार और केन्द्रीय विनियामक निकायों के मध्य एक अंतर्परिपथ (इंटरफेस) के रूप में कार्य करने और उनसे संबद्ध या उनके आनुषंगिक मामलों हेतु की गई है।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 13, यद्यपि राज्य सरकार को पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान इसके क्रियाकलापों का लेखा विवरण देने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु उसे विधान सभा के समक्ष रखे जाने का उपबंध करती है, तथापि इसके द्वारा विनियमित किए जाने वाले संबंधित प्राइवेट विश्वविद्यालयों की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे विधान सभा के समक्ष रखे जाने का कोई उपबंध नहीं है। हिमाचल प्रदेश विधान सभा की अधीनस्थ विधायी समिति ने अधिनियम के सुसंगत उपबंध में इस निमित्त संशोधन करने की सिफारिश की है। अतः प्रस्तावित प्रारूप विधेयक वांछित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 13 में संशोधन करने के लिए है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(रोहित ठाकुर)

प्रभारी मंत्री।

शिमला

तारीख....., 2024

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

(शरद कुमार लगवाल)  
सचिव (विधि)।

शिमला:

तारीख: ....., 2024

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 7 of 2024.**

**THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
(REGULATORY COMMISSION) AMENDMENT BILL, 2024**

**ARRANGEMENT OF CLAUSES**

*Clauses:*

1. Short title.
2. Amendment of section 13.

**THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
(REGULATORY COMMISSION) AMENDMENT BILL, 2024**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 (Act No. 15 of 2011).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.**—This Act may be called the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Amendment Act, 2024.

**2. Amendment of section 13.**—In section 13 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(3) The Commission shall submit its recommendations of the annual report and annual accounts, as submitted to the Commission by the Private Universities in respect of each University every year to the State Government, who shall cause the same to be laid before the Legislative Assembly.”.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission has been established under section 3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 for the purpose of providing a regulatory mechanism in the State and for working as an interface between the State Government and Central Regulatory Bodies for ensuring appropriate standards of admission, teaching, examination, research and protection of interest of students in the Private Educational Institutions and for the matter connected therewith or incidental thereto.

Section 13 of the Act *ibid.* although provides for submitting a report giving an account of its activities during the previous year to the State Government for laying the same before the Legislative Assembly, yet there is no provision to lay the annual report of accounts of the respective private universities being regulated by it before the Legislative assembly. The Subordinate Legislative Committee of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha has recommended an amendment to this effect in the relevant provisions of the Act. It is for this purpose that the

proposed draft Bill seeks to amend section 13 of the Himachal Pradesh Private Educational institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 to achieve the desired objective.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

SHIMLA:

The.....2024

---

**FINANCIAL MEMORANDUM**  
-Nil-

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

-Nil-

---

**THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
(REGULATORY COMMISSION) AMENDMENT BILL, 2024**

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission), 2010(Act No. 15 of 2011).*

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-charge.*

---

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**  
*Secretary (Law).*

SHIMLA:

The.....2024

## ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

## खण्डों का क्रम

## खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 38 का संशोधन।
3. धारा 39 का संशोधन।

## 2024 का विधेयक संख्याक 8.

ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन)  
संशोधन विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. **धारा 38 का संशोधन.**—ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट विनियामक आयोग और सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।"

3. **धारा 39 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,-

"सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।" शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः 16 प्राइवेट विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसार स्थापित किए गए हैं। राज्य में स्थापित सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों में सम्पूर्ण निर्धारण वर्ष के लिए वित्तीय और अन्य सहबद्ध क्रियाकलापों के परीक्षण और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित

उपबंध हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदन के समक्ष सहबद्ध प्राइवेट विश्वविद्यालयों की अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्ट/वार्षिक लेखे रखे जाने का कोई भी उपबंध नहीं है। अतः हिमाचल प्रदेश विधान सभा की अधीनस्थ विधायी समिति ने सम्बन्धित प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के सुसंगत उपबन्धों का संशोधन करने की सिफारिश की है।

ईटरनल विश्वविद्यालय की स्थापना ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 को अधिनियमित कर की गई थी। अतः अधीनस्थ विधायी समिति की उक्त सिफारिशों के दृष्टिगत जो स्पष्ट रूप से उक्त विश्वविद्यालय के वित्तीय और सम्बद्ध क्रियाकलापों पर पर्यवेक्षण और पारदर्शिता लाने के लक्ष्य के लिए है, प्रस्तावित विधेयक वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 38 और 39 का संशोधन करने के लिए है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

**रोहित ठाकुर)**  
प्रभारी मंत्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2024

-----

**वित्तीय ज्ञापन**

—शून्य—

-----

**प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन**

—शून्य—

-----

**ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024**

ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

**(रोहित ठाकुर)**  
प्रभारी मंत्री।

-----

**(शरद कुमार लगवाल)**  
सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख: ....., 2024



*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 8 of 2024.**

**THE ETERNAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT  
BILL, 2024**

**ARRANGEMENT OF CLAUSES**

*Clauses:*

1. Short title.
2. Amendment of section 38.
3. Amendment of section 39.

**Bill No. 8 of 2024.**

**THE ETERNAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT  
BILL, 2024**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (Act No. 3 of 2009).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

**1. Short title.**—This Act may be called the Eternal University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

**2. Amendment of section 38.**—In section 38 of the Eternal University (Establishment and Regulation Act, 2008 (hereinafter referred to as the “principal Act”) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly.” .

**3. Amendment of section 39.**—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign “The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly.” shall be added.

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

Presently, there are 16 Private Universities under the control of Education Department which are established by the UGC Act, 1956. All the private Universities established in the State have the provision relating to checking and supervision in Financial and related activities thereto for entire years assessment. Further, there is no provision to lay down the annual report and account of the respective private Universities in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha. It has therefore, been recommended by the Subordinate Legislative Committee of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha to amend the relevant provision of the respective private Universities Act.

The Eternal University was established by making the Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2008. Thus keeping in view the said recommendations of the Subordinate Legislative Committee, which apparently aim at to bring proper supervision and transparency of the finances or allied activities of the said University the proposed bill seeks to amend section 38 and 39 of the Act *ibid.* to achieve the desired objective.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

SHIMLA :

THE.....,2024.

**FINANCIAL MEMORANDUM**

-Nil-

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

-Nil-

**THE ETERNAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2024**

A

BILL

*further to amend the Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (Act No. 3 of 2009) .*

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**  
*Secretary (Law).*

SHIMLA:

THE.....2024.

ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन  
संशोधन विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 38 का संशोधन।
3. धारा 39 का संशोधन।

ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन  
संशोधन विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2013 का अधिनियम संख्यांक 20) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम एपीजी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. **धारा 38 का संशोधन.**—ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।”।

3. **धारा 39 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,—

“सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी”, शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः 16 प्राइवेट विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसार स्थापित किए गए हैं। राज्य में स्थापित सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों में सम्पूर्ण निर्धारण वर्ष के लिए वित्तीय और अन्य सहबद्ध क्रियाकलापों के परीक्षण और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित

उपबंध हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदन के समक्ष सहबद्ध प्राइवेट विश्वविद्यालयों की अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्ट/वार्षिक लेखे रखे जाने का कोई भी उपबंध नहीं है। अतः हिमाचल प्रदेश विधान सभा की अधीनस्थ विधायी समिति ने सम्बन्धित प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के सुसंगत उपबन्धों का संशोधन करने की सिफारिश की है।

ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय की स्थापना ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012 को अधिनियमित कर की गई थी। अतः अधीनस्थ विधायी समिति की उक्त सिफारिशों के दृष्टिगत जो स्पष्ट रूप से उक्त विश्वविद्यालय के वित्तीय और सम्बद्ध क्रियाकलापों पर पर्यवेक्षक और पारदर्शिता लाने के लक्ष्य के लिए है, प्रस्तावित विधेयक वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 38 और 39 का संशोधन करने के लिए है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2024

-----  
वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

-----  
प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—  
-----

ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन  
संशोधन विधेयक, 2024

ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012 (2013 का अधिनियम संख्यांक 20) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

(शरद कुमार लगवाल)  
सचिव (विधि)।

शिमला:

तारीख: ....., 2024

Bill No. 9 of 2024.

**THE APG (ALAKH PRAKASH GOYAL) SHIMLA UNIVERSITY ESTABLISHMENT  
AND REGULATION AMENDMENT BILL, 2024**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

*Clauses:*

1. Short title.
2. Amendment of section 38.
3. Amendment of section 39.

Bill No. 9 of 2024.

**THE APG (ALAKH PRAKASH GOYAL) SHIMLA UNIVERSITY ESTABLISHMENT  
AND REGULATION AMENDMENT BILL, 2024**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University Establishment and Regulation Act, 2012 (Act No. 20 of 2013).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.**—This Act may be called the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University Establishment and Regulation Amendment Act, 2024.

**2. Amendment of section 38.**—In section 38 of the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University Establishment and Regulation Act, 2012 (hereinafter referred to as the “principal Act”), for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly.” .

**3. Amendment of section 39.**—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign “The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly.” shall be added.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

Presently, there are 16 Private Universities under the control of Education Department which are established by the UGC Act, 1956. All the private Universities established in the State have the provision relating to checking and supervision in Financial and related activities thereto for entire years assessment. Further, there is no provision to lay down the annual report and account of the respective private Universities in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha. It has, therefore, been recommended by the Subordinate Legislative Committee of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha to amend the relevant provision of the respective private Universities Act.

The APG (Alakh Prakash Goyal ) University was established by making the APG (Alakh Prakash Goyal ) University Establishment and Regulation Act, 2012. Thus keeping in view the said recommendations of the Subordinate Legislative Committee, which apparently aim at to bring proper supervision and transparency of the finances or allied activities of the said University, the proposed Bill seeks to amend section 38 and 39 of the Act *ibid* to achieve the desired objective.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

SHIMLA:

The.....,2024.

---

**FINANCIAL MEMORANDUM**

-Nil-

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

-Nil-

---

**THE APG (ALAKH PRAKASH GOYAL) SHIMLA UNIVERSITY ESTABLISHMENT  
AND REGULATION AMENDMENT BILL, 2024**

A

BILL

*further to amend the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University Establishment and Regulation Act, 2012 (Act No. 20 of 2013).*

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**  
*Secretary (Law).*

SHIMLA:  
The.....2024.

2024 का विधेयक संख्यांक 10.

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024  
खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 38 का संशोधन।
3. धारा 39 का संशोधन।

2024 का विधेयक संख्यांक 10.

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन  
विधेयक, 2024  
(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. **धारा 38 का संशोधन.**—अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।”।

3. **धारा 39 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,—

“सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी”, शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः 16 प्राइवेट विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसार स्थापित किए गए हैं। राज्य में स्थापित सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों में सम्पूर्ण निर्धारण वर्ष के लिए वित्तीय और अन्य सहबद्ध क्रियाकलापों के परीक्षण और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित उपबंध हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदन के समक्ष सहबद्ध प्राइवेट विश्वविद्यालयों की अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्ट/वार्षिक लेखे रखे जाने का कोई भी उपबन्ध नहीं है। अतः हिमाचल प्रदेश विधान सभा की अधीनस्थ विधायी समिति ने सम्बन्धित प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के सुसंगत उपबन्धों का संशोधन करने की सिफारिश की है।

अरनी विश्वविद्यालय की स्थापना अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 को अधिनियमित कर की गई थी। अतः अधीनस्थ विधायी समिति की उक्त सिफारिशों के दृष्टिगत जो स्पष्ट रूप से उक्त विश्वविद्यालय के वित्तीय और सम्बद्ध क्रियाकलापों पर पर्यवेक्षण और पारदर्शिता लाने के लक्ष्य के लिए है, प्रस्तावित विधेयक वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 38 और 39 का संशोधन करने के लिए है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2024

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—



प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

(शरद कुमार लगवाल)  
सचिव (विधि)।

शिमला:

तारीख: ....., 2024

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 10 of 2024**

**THE ARNI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT  
BILL, 2024**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

*Clauses:*

1. Short title.
2. Amendment of section 38.
3. Amendment of section 39.

**THE ARNI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT  
BILL, 2024**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 23 of 2009).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.**—This Act may be called the Arni University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

**2. Amendment of section 38.**—In section 38 of the Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (hereinafter referred to as the “principal Act”) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly.” .

**3. Amendment of section 39.**—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign “The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly.” shall be added.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

Presently, there are 16 Private Universities under the control of Education Department which are established by the UGC Act, 1956. All the private Universities established in the State have the provision relating to checking and supervision of financial and related activities thereto for entire years assessment. Further, there is no provision to lay down the annual report and account of the respective private Universities in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha. It has, therefore, been recommended by the Subordinate Legislative Committee of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha to amend the relevant provision of the respective Private Universities Act.

The Arni University was established by making the Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009. Thus keeping in view the said recommendations of the Subordinate Legislative Committee, which apparently aim at to bring proper supervision and transparency of the

finances or allied activities of the said University, the proposed Bill seeks to amend section 38 and 39 of the Act *ibid.* to achieve the desired objectives.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

SHIMLA:

THE.....2024.

---

**FINANCIAL MEMORANDUM**

-Nil-

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

-Nil-

**THE ARNI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT  
BILL, 2024**

A

BILL

*further to amend the Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 23 of 2009).*

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

---

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**  
*Secretary (Law).*

SHIMLA:

THE.....2024.

## अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

## खण्डों का क्रम

## खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 38 का संशोधन।
3. धारा 39 का संशोधन।

2024 का विधेयक संख्यांक 11.

अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन  
विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. **धारा 38 का संशोधन.**—अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।"

3. **धारा 39 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,—

"सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।", शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः 16 प्राइवेट विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसार स्थापित किए गए हैं। राज्य में स्थापित सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों में सम्पूर्ण निर्धारण वर्ष के लिए वित्तीय और अन्य सहबद्ध क्रियाकलापों के परीक्षण और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित उपबंध हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदन के समक्ष सहबद्ध प्राइवेट विश्वविद्यालयों की

अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्ट/वार्षिक लेखे रखे जाने का कोई भी उपबन्ध नहीं है। अतः हिमाचल प्रदेश विधान सभा की अधीनस्थ विधायी समिति ने सम्बन्धित प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के सुसंगत उपबन्धों का संशोधन करने की सिफारिश की है।

अभिलाषी विश्वविद्यालय की स्थापना अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2014 को अधिनियमित कर की गई थी। अतः अधीनस्थ विधायी समिति की उक्त सिफारिशों के दृष्टिगत जो स्पष्ट रूप से उक्त विश्वविद्यालय के वित्तीय और सम्बद्ध क्रियाकलापों पर पर्यवेक्षण और पारदर्शिता लाने के लक्ष्य के लिए है, प्रस्तावित विधेयक वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 38 और 39 का संशोधन करने के लिए है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2024

-----

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

-----

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

-----

(शरद कुमार लगवाल)  
सचिव (विधि)।

शिमला:

तारीख: 2024

## AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 11 of 2024.

THE ABHILASHI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)  
AMENDMENT BILL, 2024

## ARRANGEMENT OF CLAUSES

*Clauses:*

1. Short title.
2. Amendment of section 38.
3. Amendment of section 39.

Bill No. 11 of 2024.

THE ABHILASHI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)  
AMENDMENT BILL, 2024

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Abhilashi University (Establishment and Regulation) Act, 2014 (Act No. 8 of 2015).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy- fifth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.**—This Act may be called the Abhilashi University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

**2. Amendment of section 38.**—In section 38 of the Abhilashi University (Establishment and Regulation) Act, 2014 (hereinafter referred to as the “principal Act”) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly.”

**3. Amendment of section 39.**—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign “The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly.” shall be added.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

Presently, there are 16 Private Universities under the control of Education Department which are established by the UGC Act, 1956. All the private Universities established in the State have the provision relating to checking and supervision in Financial and related activities thereto for entire years assessment. Further, there is no provision to lay down the annual report and account of the respective private Universities in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha. It has, therefore, been recommended by the Subordinate Legislative Committee of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha to amend the relevant provision of the respective private Universities Act.

The Abhilashi University was established by making the Abhilashi University (Establishment and Regulation) Act, 2014. Thus keeping in view the said recommendations of the Subordinate Legislative Committee, which apparently aim at to bring proper supervision and transparency of the finances or allied activities of the said University, the proposed Bill seeks to amend section 38 and 39 of the Act *ibid* to achieve the desired objective.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

SHIMLA :

THE.....2024.

---

**FINANCIAL MEMORANDUM**

-Nil-

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

-Nil-

---

**THE ABHILASHI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)  
AMENDMENT BILL, 2024**

A

BILL

*further to amend the Abhilashi University (Establishment and Regulation) Act, 2014 (Act No. 8 of 2015) .*

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**  
*Secretary(Law).*

SHIMLA:

THE.....2024.

2024 का विधेयक संख्यांक 12

बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साईंसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन)  
संशोधन विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम ।
2. धारा 38 का संशोधन ।
3. धारा 39 का संशोधन ।

2024 का विधेयक संख्यांक 12

बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साईंसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन)  
संशोधन विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साईंसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 21) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साईंसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है ।



**2. धारा 38 का संशोधन.**—बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साईंसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।”।

**3. धारा 39 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,—

“सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी”, शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः 16 प्राइवेट विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसार स्थापित किए गए हैं। राज्य में स्थापित सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों में सम्पूर्ण निर्धारण वर्ष के लिए वित्तीय और अन्य सहबद्ध क्रियाकलापों के परीक्षण और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित उपबन्ध हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदन के समक्ष सहबद्ध प्राइवेट विश्वविद्यालयों की अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्ट/वार्षिक लेखे रखे जाने का कोई भी उपबन्ध नहीं है। अतः हिमाचल प्रदेश विधान सभा की अधीनस्थ विधायी समिति ने सम्बन्धित प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के सुसंगत उपबन्धों का संशोधन करने की सिफारिश की है।

बद्दी यूनिवर्सिटी की स्थापना बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साईंसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 को अधिनियमित कर की गई थी। अतः अधीनस्थ विधायी समिति की उक्त सिफारिशों के दृष्टिगत जो स्पष्ट रूप से उक्त विश्वविद्यालय के वित्तीय और सम्बद्ध क्रियाकलापों पर पर्यवेक्षण और पारदर्शिता लाने के लक्ष्य के लिए है, प्रस्तावित विधेयक वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 38 और 39 का संशोधन करने के लिए है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2024.

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

बददी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसिज़ एण्ड टेक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

बददी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसिज़ एण्ड टेक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 21) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

(शरद कुमार लगवाल)  
सचिव (विधि)।

शिमला:

तारीख: ....., 2024.

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 12 of 2024**

**THE BADDI UNIVERSITY OF EMERGING SCIENCES AND TECHNOLOGY  
(ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2024**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

*Clauses:*

1. Short title.
2. Amendment of section 38.
3. Amendment of section 39.

**Bill No. 12 of 2024**

**THE BADDI UNIVERSITY OF EMERGING SCIENCES AND TECHNOLOGY  
(ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2024**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A  
BILL

*further to amend the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 21 of 2009).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.**—This Act may be called the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

**2. Amendment of section 38.**—In section 38 of the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009 (hereinafter referred to as the “principal Act”) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly.” .

**3. Amendment of section 39.**—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign “The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly.” shall be added.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Presently, there are 16 Private Universities under the control of Education Department which are established by the UGC Act, 1956. All the private Universities established in the State have the provision relating to checking and supervision in Financial and related activities thereto for entire years assessment. Further, there is no provision to lay down the annual report and account of the respective private Universities in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha. It has, therefore, been recommended by the Subordinate Legislative Committee of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha to amend the relevant provision of the respective private Universities Act.

The Baddi University was established by making the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009. Thus keeping in view the said recommendations of the Subordinate Legislative Committee, which apparently aim at to bring proper supervision and transparency of the finances or allied activities of the said University, the proposed Bill seeks to amend section 38 and 39 of the Act *ibid.* to achieve the desired objective.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

SHIMLA:

THE.....2024.

#### FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

-Nil-

---

**THE BADDI UNIVERSITY OF EMERGING SCIENCES AND TECHNOLOGY  
(ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2024**

A

BILL

*further to amend the Baddi University of Emerging Sciences and Technology  
(Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 21 of 2009).*

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

---

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**  
*Secretary (Law).*

SHIMLA :

THE....., 2024.

2024 का विधेयक संख्यांक 13.

बाहारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 38 का संशोधन।
3. धारा 39 का संशोधन।

**बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन  
विधेयक, 2024**

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. **धारा 38 का संशोधन.**—बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।"

3. **धारा 39 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,—

"सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी", शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

**उद्देश्यों और कारणों का कथन**

वर्तमानतः 16 प्राइवेट विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसार स्थापित किए गए हैं। राज्य में स्थापित सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों में सम्पूर्ण निर्धारण वर्ष के लिए वित्तीय और अन्य सहबद्ध क्रियाकलापों के परीक्षण और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित उपबन्ध हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदन के समक्ष सहबद्ध प्राइवेट विश्वविद्यालयों की अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्ट/वार्षिक लेखे रखे जाने का कोई भी उपबन्ध नहीं है। अतः हिमाचल प्रदेश विधान सभा की अधीनस्थ विधायी समिति ने सम्बन्धित प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के सुसंगत उपबन्धों का संशोधन करने की सिफारिश की है।

बाहरा विश्वविद्यालय की स्थापना बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 को अधिनियमित कर की गई थी। अतः अधीनस्थ विधायी समिति की उक्त सिफारिशों के दृष्टिगत जो स्पष्ट रूप से उक्त विश्वविद्यालय के वित्तीय और सम्बद्ध क्रियाकलापों पर पर्यवेक्षण और पारदर्शिता लाने के लक्ष्य के लिए है, प्रस्तावित विधेयक वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 38 और 39 का संशोधन करने के लिए है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2024.

-----  
वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

-----  
प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—  
-----

**बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024**

बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

(शरद कुमार लगवाल)  
सचिव (विधि)।

शिमला:

तारीख....., 2024.

-----  
*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 13 of 2024.**

**THE BAHRA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)  
AMENDMENT BILL, 2024**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

*Clauses:*

1. Short title.
2. Amendment of section 38.
3. Amendment of section 39.

**Bill No. 13 of 2024.**

**THE BAHRA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)  
AMENDMENT BILL, 2024**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Bahra University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No. 2 of 2011).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.**—This Act may be called the Bahra University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

**2. Amendment of section 38.**—In section 38 of the Bahra University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (hereinafter referred to as the “principal Act”) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly.” .

**3. Amendment of section 38.**—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign “The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly.” shall be added.

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

Presently, there are 16 Private Universities under the control of Education Department which are established by the UGC Act, 1956. All the private Universities established in the State have the provision relating to checking and supervision in financial and related activities thereto for entire years assessment. Further, there is no provision to lay down the annual report and account of the respective private Universities in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha. It has, therefore, been

recommended by the Subordinate Legislative Committee of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha to amend the relevant provision of the respective Private Universities Act.

The Bahra University was established by making the Bahra University (Establishment and Regulation) Act, 2010. Thus keeping in view the said recommendations of the Subordinate Legislative Committee, which apparently aim at to bring proper supervision and transparency of the finances or allied activities of the said University, the proposed Bill seeks to amend section 38 and 39 of the Act *ibid.* to achieve the desired objectives.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

SHIMLA:  
The.....,2024.

---

**FINANCIAL MEMORANDUM**

-Nil-

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

-Nil-

---

**THE BAHRA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT  
BILL, 2024**

A

BILL

*further to amend the Bahra University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No. 2 of 2011).*

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

---

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**  
*Secretary (Law).*

SHIMLA:  
The.....,2024.



## श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

## खण्डों का क्रम

## खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 38 का संशोधन।
3. धारा 39 का संशोधन।

2024 का विधेयक संख्यांक 14

## श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. **धारा 38 का संशोधन.**—श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।"

3. **धारा 39 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,—

"सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी", शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः 16 प्राइवेट विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसार स्थापित किए गए हैं। राज्य में स्थापित सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों में सम्पूर्ण निर्धारण वर्ष के लिए वित्तीय और अन्य सहबद्ध क्रियाकलापों के परीक्षण और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित

उपबंध हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदन के समक्ष सहबद्ध प्राइवेट विश्वविद्यालयों की अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्ट/वार्षिक लेखे रखे जाने का कोई भी उपबंध नहीं है। अतः हिमाचल प्रदेश विधान सभा की अधीनस्थ विधायी समिति ने सम्बन्धित प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के सुसंगत उपबंधों का संशोधन करने की सिफारिश की है।

श्री साई विश्वविद्यालय की स्थापना श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 को अधिनियमित कर की गई थी। अतः अधीनस्थ विधायी समिति की उक्त सिफारिशों के दृष्टिगत जो स्पष्ट रूप से उक्त विश्वविद्यालय के वित्तीय और सम्बद्ध क्रियाकलापों पर पर्यवेक्षण और पारदर्शिता लाने के लक्ष्य के लिए है, प्रस्तावित विधेयक वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 38 और 39 का संशोधन करने के लिए है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2024.

-----  
वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

-----  
प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—  
-----

**श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024**

श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

(शरद कुमार लगवाल)  
सचिव (विधि)।

शिमला:

तारीख: ....., 2024

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 14 of 2024.**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

*Clauses:*

1. Short title.
2. Amendment of section 38.
3. Amendment of section 39.

**Bill No. 14 of 2024.**

**THE SRI SAI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT  
BILL, 2024**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Sri Sai University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No. 3 of 2011).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy- fifth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.**—This Act may be called the Sri Sai University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

**2. Amendment of section 38.**—In section 38 of the Sri Sai University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (hereinafter referred to as the “principal Act”) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly.” .

**3. Amendment of section 39.**—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign “The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly.” shall be added.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

Presently, there are 16 Private Universities under the control of Education Department which are established by the UGC Act, 1956. All the private Universities established in the State have the provision relating to checking and supervision of financial and related activities thereto for entire years assessment. Further, there is no provision to lay down the annual report and account of the respective private Universities in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha. It has, therefore, been recommended by the Subordinate Legislative Committee of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha to amend the relevant provision of the respective Private Universities Act.

The Sri Sai University was established by making the Sri Sai University (Establishment and Regulation) Act, 2010. Thus keeping in view the said recommendations of the Subordinate Legislative Committee, which apparently aim at to bring proper supervision and transparency of the finances or allied activities of the said University, the proposed Bill seeks to amend section 38 and 39 of the Act *ibid.* to achieve the desired objectives.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge*

SHIMLA:

The.....2024.

---

**FINANCIAL MEMORANDUM**

-Nil-

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

-Nil-

---

**THE SRI SAI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)  
AMENDMENT BILL, 2024**

**A**

**BILL**

*further to amend the Sri Sai University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No. 3 of 2011).*

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**  
*Secretary (Law).*

SHIMLA:  
The.....2024.

2024 का विधेयक संख्यांक 15.

दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंश्ल एनेलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन)  
संशोधन विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 38 का संशोधन।
3. धारा 39 का संशोधन।

2024 का विधेयक संख्यांक 15.

दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंश्ल एनेलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन)  
संशोधन विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंश्ल एनेलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 43) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंश्ल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. **धारा 38 का संशोधन.**—दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंश्ल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।”।

3. **धारा 39 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,—

“ सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।”, शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः 16 प्राइवेट विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसार स्थापित किए गए हैं। राज्य में स्थापित सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों में सम्पूर्ण निर्धारण वर्ष के लिए वित्तीय और अन्य सहबद्ध क्रियाकलापों के परीक्षण और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित उपबन्ध हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदन के समक्ष सहबद्ध प्राइवेट विश्वविद्यालयों की अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्ट/वार्षिक लेखे रखे जाने का कोई भी उपबन्ध नहीं है। अतः हिमाचल प्रदेश विधान सभा की अधीनस्थ विधायी समिति ने सम्बन्धित प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के सुसंगत उपबन्धों का संशोधन करने की सिफारिश की है।

दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंश्ल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय की स्थापना दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंश्ल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2011 को अधिनियमित कर की गई थी। अतः अधीनस्थ विधायी समिति की उक्त सिफारिशों के दृष्टिगत जो स्पष्ट रूप से उक्त विश्वविद्यालय के वित्तीय और सम्बद्ध क्रियाकलापों पर पर्यवेक्षण और पारदर्शिता लाने के लक्ष्य के लिए है, प्रस्तावित विधेयक वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 38 और 39 का संशोधन करने के लिए है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2024

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंश्ल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन)  
संशोधन विधेयक, 2024

दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंश्ल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 43) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

(षरद कुमार लगवाल)  
सचिव (विधि)।

शिमला:  
तारीख:....., 2024

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 15 of 2024.**

**THE INSTITUTE OF CHARTERED FINANCIAL ANALYSTS OF INDIA  
UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)  
AMENDMENT BILL, 2024**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

*Clauses:*

1. Short title.
2. Amendment of section 38.
3. Amendment of section 39.

**THE INSTITUTE OF CHARTERED FINANCIAL ANALYSTS OF INDIA  
UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2024**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Institute of Chartered Financial Analysts of India University (Establishment and Regulation) Act, 2011 (Act No. 43 of 2011) .*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

**1. Short title.**—This Act may be called the Institute of Chartered Financial Analysts of India University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

**2. Amendment of section 38.**—In section 38 of the Institute of Chartered Financial Analysts of India University (Establishment and Regulation) Act, 2011 (hereinafter referred to as the “principal Act”) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly.” .

**3. Amendment of section 39.**—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign “The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly.” shall be added.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

Presently, there are 16 Private Universities under the control of Education Department which are established by the UGC Act, 1956. All the private Universities established in the State have the provision relating to checking and supervision of financial and related activities thereto for entire years assessment. Further, there is no provision to lay down the annual report and account of the respective private Universities in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha. It has therefore, been recommended by the Subordinate Legislative Committee of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha to amend the relevant provision of the respective Private Universities Act.

The Institute of Chartered Financial Analysts of India University was established by making the Institute of Chartered Financial Analysts of India University (Establishment and Regulation) Act, 2011. Thus keeping in view the said recommendations of the Subordinate Legislative Committee, which apparently aim at to bring proper supervision and transparency of the finances or allied activities of the said University, the proposed Bill seeks to amend section 38 and 39 of the Act *ibid.* to achieve the desired objectives.



---

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

SHIMLA:

THE.....,2024.

---

**FINANCIAL MEMORANDUM**

-Nil-

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

-Nil-

---

**THE INSTITUTE OF CHARTERED FINANCIAL ANALYSTS OF INDIA UNIVERSITY  
(ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2024**

**A**

**BILL**

*further to amend the Institute of Chartered Financial Analysts of India University  
(Establishment and Regulation) Act, 2011 (Act No. 43 of 2011).*

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

---

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**  
*Secretary (Law).*

SHIMLA:

THE.....2024

## चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

## खण्डों का क्रम

## खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 38 का संशोधन।
3. धारा 39 का संशोधन।

2024 का विधेयक संख्यांक 16.

## चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

**1. संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

**2. धारा 38 का संशोधन.**—चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।"

**3. धारा 39 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,—

"सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी", शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः 16 प्राइवेट विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसार स्थापित किए गए हैं। राज्य में स्थापित सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों में सम्पूर्ण निर्धारण वर्ष के लिए वित्तीय और अन्य सहबद्ध क्रियाकलापों के परीक्षण और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित

उपबंध हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदन के समक्ष सहबद्ध प्राइवेट विश्वविद्यालयों की अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्ट/वार्षिक लेखे रखे जाने का कोई भी उपबंध नहीं है। अतः हिमाचल प्रदेश विधान सभा की अधीनस्थ विधायी समिति ने सम्बन्धित प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के सुसंगत उपबंधों का संशोधन करने की सिफारिश की है।

चिटकारा विश्वविद्यालय की स्थापना चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 को अधिनियमित कर की गई थी। अतः अधीनस्थ विधायी समिति की उक्त सिफारिशों के दृष्टिगत जो स्पष्ट रूप से उक्त विश्वविद्यालय के वित्तीय और सम्बद्ध क्रियाकलापों पर पर्यवेक्षण और पारदर्शिता लाने के लक्ष्य के लिए है, प्रस्तावित विधेयक वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 38 और 39 का संशोधन करने के लिए है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2024

-----  
वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

-----  
प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—  
-----

**चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024**

चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

(शरद कुमार लगवाल)  
सचिव (विधि)।

शिमला:

तारीख: ....., 2024

Bill No. 16 of 2024.

**THE CHITKARA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)  
AMENDMENT BILL, 2024**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

*Clauses:*

1. Short title.
2. Amendment of section 38.
3. Amendment of section 39.

Bill No. 16 of 2024.

**THE CHITKARA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)  
AMENDMENT BILL, 2024**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Chitkara University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (Act No. 2 of 2009).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy- fifth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.**—This Act may be called the Chitkara University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

**2. Amendment of section 38.**—In section 38 of the Chitkara University (Establishment and Regulation ) Act, 2008 (hereinafter referred to as the “principal Act”) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly.” .

**3. Amendment of section 39.**— In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign “The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly.” shall be added.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

Presently, there are 16 Private Universities under the control of Education Department which are established by the UGC Act, 1956. All the private Universities established in the State have the provision relating to checking and supervision of financial and related activities thereto for entire years assessment. Further, there is no provision to lay down the annual report and account of the respective private Universities in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha. It has, therefore, been recommended by the Subordinate Legislative Committee of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha to amend the relevant provision of the respective Private Universities Act.

The Chitkara University was established by making the Chitkara University (Establishment and Regulation) Act, 2008. Thus keeping in view the said recommendations of the Subordinate Legislative Committee, which apparently aim at to bring proper supervision and transparency of the finances or allied activities of the said University, the proposed Bill seeks to amend section 38 and 39 of the Act *ibid.* to achieve the desired objectives.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

SHIMLA:

The.....,2024.

---

**FINANCIAL MEMORANDUM**

-Nil-

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

-Nil-

---

**THE CHITKARA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)  
AMENDMENT BILL, 2024**

A

BILL

*further to amend the Chitkara University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (Act No. 2 of 2009).*

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**  
*Secretary (Law).*

SHIMLA:  
The.....,2024.

2024 का विधेयक संख्यांक 17.

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन  
विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 38 का संशोधन।
3. धारा 39 का संशोधन।

2024 का विधेयक संख्यांक 17.

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

**2. धारा 38 का संशोधन.**—इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।”।

**3. धारा 39 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,—

“सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी”, शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः 16 प्राइवेट विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसार स्थापित किए गए हैं। राज्य में स्थापित सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों में सम्पूर्ण निर्धारण वर्ष के लिए वित्तीय और अन्य सहबद्ध क्रियाकलापों के परीक्षण और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित उपबंध हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदन के समक्ष सहबद्ध प्राइवेट विश्वविद्यालयों की अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्ट/वार्षिक लेखे रखे जाने का कोई भी उपबन्ध नहीं है। अतः हिमाचल प्रदेश विधान सभा की अधीनस्थ विधायी समिति ने सम्बन्धित प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के सुसंगत उपबन्धों का संशोधन करने की सिफारिश की है।

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय की स्थापना इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 को अधिनियमित कर की गई थी। अतः अधीनस्थ विधायी समिति की उक्त सिफारिशों के दृष्टिगत जो स्पष्ट रूप से उक्त विश्वविद्यालय के वित्तीय और सम्बद्ध क्रियाकलापों पर पर्यवेक्षण और पारदर्शिता लाने के लक्ष्य के लिए है, प्रस्तावित विधेयक वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 38 और 39 का संशोधन करने के लिए है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2024.

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

---

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन  
विधेयक, 2024

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

-----  
(शरद कुमार लगवाल)  
सचिव (विधि)।

शिमला:  
तारीख: ....., 2024.

-----  
*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 17 of 2024.**

**THE INDUS INTERNATIONAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND  
REGULATION) AMENDMENT BILL, 2024**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

*Clauses:*

1. Short title.
2. Amendment of section 38.
3. Amendment of section 39.

-----  
**Bill No. 17 of 2024.**

**THE INDUS INTERNATIONAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND  
REGULATION) AMENDMENT BILL, 2024**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL



*further to amend the Indus International University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 1 of 2010).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy- fifth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title .**—This Act may be called the Indus International University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

**2. Amendment of section 38.**—In section 38 of the Indus International University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (hereinafter referred to as the “principal Act”) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly.” .

**3. Amendment of section 39.**—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign “The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly.” shall be added.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Presently, there are 16 Private Universities under the control of Education Department which are established by the UGC Act, 1956. All the private Universities established in the State have the provision relating to checking and supervision of financial and related activities thereto for entire years assessment. Further, there is no provision to lay down the annual report and account of the respective private Universities in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha. It has, therefore, been recommended by the Subordinate Legislative Committee of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha to amend the relevant provision of the respective Private Universities Act.

The Indus University was established by making the Indus International University (Establishment and Regulation) Act, 2009. Thus keeping in view the said recommendations of the Subordinate Legislative Committee, which apparently aim at to bring proper supervision and transparency of the finances or allied activities of the said University, the proposed Bill seeks to amend section 38 and 39 of the Act *ibid.* to achieve the desired objectives.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge*

SHIMLA:

The.....2024.

---

**FINANCIAL MEMORANDUM**

-Nil-

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

-Nil-

---

**THE INDUS INTERNATIONAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND  
REGULATION) AMENDMENT BILL, 2024**

A

BILL

*further to amend the Indus International University (Establishment and Regulation) Act,  
2009 (Act No. 1 of 2010).*

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

---

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**  
*Secretary (Law).*

SHIMLA:  
The.....2024.

---

2024 का विधेयक संख्यांक 18.

महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 38 का संशोधन।
3. धारा 39 का संशोधन।

**महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024**

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

**1. संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

**2. धारा 38 का संशोधन.**—महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।"

**3. धारा 39 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,—

"सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी", शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

**उद्देश्यों और कारणों का कथन**

वर्तमानतः 16 प्राइवेट विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसार स्थापित किए गए हैं। राज्य में स्थापित सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों में सम्पूर्ण निर्धारण वर्ष के लिए वित्तीय और अन्य सहबद्ध क्रियाकलापों के परीक्षण और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित उपबन्ध हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदन के समक्ष सहबद्ध प्राइवेट विश्वविद्यालयों की अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्ट/वार्षिक लेखे रखे जाने का कोई भी उपबन्ध नहीं है। अतः हिमाचल प्रदेश विधान सभा की अधीनस्थ विधायी समिति ने सम्बन्धित प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के सुसंगत उपबन्धों का संशोधन करने की सिफारिश की है।

महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 को अधिनियमित कर की गई थी। अतः अधीनस्थ विधायी समिति की उक्त सिफारिशों के दृष्टिगत जो स्पष्ट रूप से उक्त विश्वविद्यालय के वित्तीय और सम्बद्ध क्रियाकलापों पर पर्यवेक्षण और पारदर्शिता लाने के लक्ष्य के लिए है, प्रस्तावित विधेयक वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 38 और 39 का संशोधन करने के लिए है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2024.

-----  
वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

-----  
प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—  
-----

महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

(शरद कुमार लगवाल)  
सचिव (विधि)।

शिमला:

तारीख:....., 2024.

-----  
*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 18 of 2024.**

**THE MAHARISHI MARKANDESHWAR UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND  
REGULATION) AMENDMENT BILL, 2024**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

*Clauses:*

1. Short title.
2. Amendment of section 38.
3. Amendment of section 39.

**Bill No. 18 of 2024.**

**THE MAHARISHI MARKANDESHWAR UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2024**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No. 22 of 2010).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.**—This Act may be called the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

**2. Amendment of section 38.**—In section 38 of the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (hereinafter referred to as the “principal Act”) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly.” .

**3. Amendment of section 39.**—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign “The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly.” shall be added.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

Presently, there are 16 Private Universities under the control of Education Department which are established by the UGC Act, 1956. All the private Universities established in the State have the provision relating to checking and supervision of financial and related activities thereto for entire years assessment. Further, there is no provision to lay down the annual report and account of the respective private Universities in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha. It has, therefore, been recommended by the Subordinate Legislative Committee of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha to amend the relevant provision of the respective Private Universities Act.

The Maharishi Markandeshwar University was established by making the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Act, 2010. Thus keeping in view the said recommendations of the Subordinate Legislative Committee, which apparently aim at to bring proper supervision and transparency of the finances or allied activities of the said University, the proposed Bill seeks to amend section 38 and 39 of the Act *ibid* to achieve the desired objectives.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

SHIMLA:

The.....,2024.

---

**FINANCIAL MEMORANDUM**

-Nil-

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

-Nil-

---

**THE MAHARISHI MARKANDESHWAR UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND  
REGULATION) AMENDMENT BILL, 2024**

A

BILL

*further to amend the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation)  
Act, 2010 (Act No. 22 of 2010) .*

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**  
*Secretary (Law).*

SHIMLA:

The.....2024.

शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन)  
संशोधन विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्ड:

- संक्षिप्त नाम।
- धारा 38 का संशोधन।
- धारा 39 का संशोधन।

2024 का विधेयक संख्यांक 19.

शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन)  
संशोधन विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 20) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. **धारा 38 का संशोधन.**—शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।"

3. **धारा 39 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,—

"सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी", शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः 16 प्राइवेट विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसार स्थापित किए गए हैं। राज्य में स्थापित सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों में सम्पूर्ण निर्धारण वर्ष के लिए वित्तीय और अन्य सहबद्ध क्रियाकलापों के परीक्षण और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित उपबन्ध हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदन के समक्ष सहबद्ध प्राइवेट विश्वविद्यालयों की अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्ट/वार्षिक लेखे रखे जाने का कोई भी उपबन्ध नहीं है। अतः हिमाचल प्रदेश विधान सभा की अधीनस्थ विधायी समिति ने सम्बन्धित प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के सुसंगत उपबन्धों का संशोधन करने की सिफारिश की है।

शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साइंसिज विश्वविद्यालय की स्थापना शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साइंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 को अधिनियमित कर की गई थी। अतः अधीनस्थ विधायी समिति की उक्त सिफारिशों के दृष्टिगत जो स्पष्ट रूप से उक्त विश्वविद्यालय के वित्तीय और सम्बद्ध क्रियाकलापों पर पर्यवेक्षण और पारदर्शिता लाने के लक्ष्य के लिए है, प्रस्तावित विधेयक वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 38 और 39 का संशोधन करने के लिए है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2024.

-----  
वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

-----  
प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साइंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन)  
संशोधन विधेयक, 2024

शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साइंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 20) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

-----  
(शरद कुमार लगवाल)  
सचिव (विधि)।

शिमला:

तारीख: ....., 2024.



*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 19 of 2024.**

**MANAGEMENT SCIENCES (ESTABLISHMENT AND REGULATION)  
AMENDMENT BILL, 2024**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

*Clauses:*

1. Short title.
2. Amendment of section 38.
3. Amendment of section 39.

**Bill No. 19 of 2024.**

**THE SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY AND MANAGEMENT  
SCIENCES (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2024**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences  
(Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 20 of 2009).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy- fifth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.**—This Act may be called the Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

**2. Amendment of section 38.**—In section 38 of the Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences (Establishment and Regulation) Act, 2009 (hereinafter referred to as the “principal Act”) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly.” .

**3. Amendment of section 39.**—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign “The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly.” shall be added.

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

Presently, there are 16 Private Universities under the control of Education Department which are established by the UGC Act, 1956. All the private Universities established in the State have the provision relating to checking and supervision of financial and related activities thereto for entire years assessment. Further, there is no provision to lay down the annual report and account of the respective private Universities in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha. It has, therefore, been recommended by the Subordinate Legislative Committee of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha to amend the relevant provision of the respective Private Universities Act.

The Shoolini University was established by making the Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences (Establishment and Regulation) Act, 2009. Thus keeping in view the said recommendations of the Subordinate Legislative Committee, which apparently aim at to bring proper supervision and transparency of the finances or allied activities of the said University, the proposed Bill seeks to amend section 38 and 39 of the Act *ibid* to achieve the desired objectives.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

SHIMLA:

The.....,2024.

**FINANCIAL MEMORANDUM**

-Nil-

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

-Nil-

**THE SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY AND MANAGEMENT SCIENCES (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2024**

A

BILL

*further to amend the Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 20 of 2009).*

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**  
*Secretary (Law).*

SHIMLA:

The.....2024.

## कॅरिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

## खण्डों का क्रम

## खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 38 का संशोधन।
3. धारा 39 का संशोधन।

## 2024 का विधेयक संख्यांक 20.

## कॅरिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

कॅरिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कॅरिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. **धारा 38 का संशोधन.**—कॅरिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।"

3. **धारा 39 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,—

"सरकार ऐसे लेखों और तुलन पत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।" शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः 16 प्राइवेट विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसार स्थापित किए गए हैं। राज्य में स्थापित सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों में सम्पूर्ण निर्धारण वर्ष के लिए वित्तीय और अन्य सहबद्ध क्रियाकलापों के परीक्षण और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित उपबंध हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदन के समक्ष सहबद्ध प्राइवेट विश्वविद्यालयों की

अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्ट/वार्षिक लेखे रखे जाने का कोई भी उपबन्ध नहीं है। अतः हिमाचल प्रदेश विधान सभा की अधीनस्थ विधायी समिति ने सम्बन्धित प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के सुसंगत उपबन्धों का संशोधन करने की सिफारिश की है।

कॅरियर पॉइन्ट विश्वविद्यालय की स्थापना कॅरियर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 को अधिनियमित कर की गई थी। अतः अधीनस्थ विधायी समिति की उक्त सिफारिशों के दृष्टिगत जो स्पष्ट रूप से उक्त विश्वविद्यालय के वित्तीय और सम्बद्ध क्रियाकलापों पर पर्यवेक्षण और पारदर्शिता लाने के लक्ष्य के लिए है, प्रस्तावित विधेयक वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 38 और 39 का संशोधन करने के लिए है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2024.

-----

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

-----

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

-----

**कॅरियर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024**

कॅरियर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

-----

(शरद कुमार लगवाल)

सचिव (विधि)।

शिमला:

तारीख:....., 2024.

Bill No. 20 of 2024.

**THE CAREER POINT UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)  
AMENDMENT BILL, 2024**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

*Clauses:*

1. Short title.
2. Amendment of section 38.
3. Amendment of section 39.

Bill No. 20 of 2024.

**THE CAREER POINT UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)  
AMENDMENT BILL, 2024**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Career Point University (Establishment and Regulation) Act, 2012  
(Act No. 12 of 2012).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy- fifth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.**—This Act may be called the Career Point University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

**2. Amendment of section 38.**—In section 38 of the Career Point University (Establishment and Regulation) Act, 2012 (hereinafter referred to as the “principal Act”) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly.” .

**3. Amendment of section 39.**—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign “The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly.” shall be added.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

Presently, there are 16 Private Universities under the control of Education Department which are established by the UGC Act, 1956. All the private Universities established in the State have the provision relating to checking and supervision of financial and related activities thereto for entire years assessment. Further, there is no provision to lay down the annual report and account of the respective private Universities in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha. It has, therefore, been recommended by the Subordinate Legislative Committee of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha to amend the relevant provision of the respective private Universities Act.

The Career Point University was established by making the Career Point University (Establishment and Regulation) Act, 2012. Thus keeping in view the said recommendations of the Subordinate Legislative Committee, which apparently aim at to bring proper supervision and transparency of the finances or allied activities of the said University, the proposed Bill seeks to amend section 38 and 39 of the Act *ibid.* to achieve the desired objectives.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

SHIMLA:

The.....2024.

---

**FINANCIAL MEMORANDUM**

-Nil-

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

-Nil-

---

**THE CAREER POINT UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)  
AMENDMENT BILL, 2024**

A

BILL

*further to amend the Career Point University (Establishment and Regulation) Act, 2012 (Act No. 12 of 2012).*

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**  
*Secretary (Law).*

SHIMLA:  
THE.....,2024.

2024 का विधेयक संख्यांक 21.

आई.ई.सी (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन  
विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 38 का संशोधन।
3. धारा 39 का संशोधन।

2024 का विधेयक संख्यांक 21.

आई.ई.सी.(इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन  
संशोधन विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

आई.ई.सी.(इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आई.ई.सी.(इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. **धारा 38 का संशोधन.**—आई.ई.सी.(इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।”।

3. **धारा 39 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,— “सरकार ऐसे लेखों और तुलन पत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।” शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः 16 प्राइवेट विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसार स्थापित किए गए हैं। राज्य में स्थापित सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों में सम्पूर्ण निर्धारण वर्ष के लिए वित्तीय और अन्य सहबद्ध क्रियाकलापों के परीक्षण और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित उपबन्ध हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदन के समक्ष सहबद्ध प्राइवेट विश्वविद्यालयों की अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्ट/वार्षिक लेखे रखे जाने का कोई भी उपबन्ध नहीं है। अतः हिमाचल प्रदेश विधान सभा की अधीनस्थ विधायी समिति ने सम्बन्धित प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के सुसंगत उपबन्धों का संशोधन करने की सिफारिश की है।

आई. ई. सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय की स्थापना आई. ई. सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012 को अधिनियमित कर की गई थी। अतः अधीनस्थ विधायी समिति की उक्त सिफारिशों के दृष्टिगत जो स्पष्ट रूप से उक्त विश्वविद्यालय के वित्तीय और सम्बद्ध क्रियाकलापों पर पर्यवेक्षण और पारदर्शिता लाने के लक्ष्य के लिए है, प्रस्तावित विधेयक वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 38 और 39 का संशोधन करने के लिए है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2024.

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—



आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन  
संशोधन विधेयक, 2024

आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

(शरद कुमार लगवाल)  
सचिव (विधि)।

शिमला:  
तारीख: ....., 2024.

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 21 of 2024.**

**THE IEC (INDIA EDUCATION CENTRE) UNIVERSITY ESTABLISHMENT AND  
REGULATION AMENDMENT BILL, 2024**

**ARRANGEMENT OF CLAUSES**

*Clauses:*

1. Short title.
2. Amendment of section 38.
3. Amendment of section 39.

**Bill No. 21 of 2024.**

**THE IEC (INDIA EDUCATION CENTRE) UNIVERSITY ESTABLISHMENT  
AND REGULATION AMENDMENT BILL, 2024**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the IEC (India Education Centre) University Establishment and Regulation Act, 2012 (Act No. 11 of 2012).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.**—This Act may be called the IEC (India Education Centre) University Establishment and Regulation Amendment Act, 2024.

**2. Amendment of section 38.**—In section 38 of the IEC (India Education Centre) University Establishment and Regulation Act, 2012 (hereinafter referred to as the “principal Act”) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly.” .

**3. Amendment of section 39.**—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign “The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid down before the Legislative Assembly.” shall be added.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Presently, there are 16 Private Universities under the control of Education Department which are established by the UGC Act, 1956. All the private Universities established in the State have the provision relating to checking and supervision of financial and related activities thereto for entire years assessment. Further, there is no provision to lay down the annual report and account of the respective private Universities in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha. It has, therefore, been recommended by the Subordinate Legislative Committee of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha to amend the relevant provision of the respective Private Universities Act.

The IEC (India Education Centre) University was established by making the IEC (India Education Centre) University (Establishment and Regulation) Act, 2012. Thus keeping in view the said recommendations of the Subordinate Legislative Committee, which apparently aim at to bring proper supervision and transparency of the finances or allied activities of the said University, the proposed Bill seeks to amend section 38 and 39 of the Act *ibid* to achieve the desired objectives.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

SHIMLA:

THE.....,2024.

---

**FINANCIAL MEMORANDUM**

-Nil-

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

-Nil-

---

**THE IEC (INDIA EDUCATION CENTRE) UNIVERSITY ESTABLISHMENT AND  
REGULATION AMENDMENT BILL, 2024**

A

BILL

*further to amend the IEC (India Education Centre) University Establishment and  
Regulation Act, 2012 (Act No. 11 of 2012) .*

**(ROHIT THAKUR)**

*Minister-in-Charge.*

---

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**

*(Secretary Law).*

SHIMLA:

The.....,2024.

---

2024 का विधेयक संख्यांक 22.

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024  
खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 38 का संशोधन।
3. धारा 39 का संशोधन।

**मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024**

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

**1. संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

**2. धारा 38 का संशोधन.**—मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।"

**3. धारा 39 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,— "सरकार ऐसे लेखों और तुलन पत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।" शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

**उद्देश्यों और कारणों का कथन**

वर्तमानतः 16 प्राइवेट विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसार स्थापित किए गए हैं। राज्य में स्थापित सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों में सम्पूर्ण निर्धारण वर्ष के लिए वित्तीय और अन्य सहबद्ध क्रियाकलापों के परीक्षण और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित उपबंध हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदन के समक्ष सहबद्ध प्राइवेट विश्वविद्यालयों की अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्ट/वार्षिक लेखे रखे जाने का कोई भी उपबन्ध नहीं है। अतः हिमाचल प्रदेश विधान सभा की अधीनस्थ विधायी समिति ने सम्बन्धित प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के सुसंगत उपबन्धों का संशोधन करने की सिफारिश की है।

मानव भारती विश्वविद्यालय की स्थापना मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 को अधिनियमित कर की गई थी। अतः अधीनस्थ विधायी समिति की उक्त सिफारिशों के दृष्टिगत जो स्पष्ट रूप से उक्त विश्वविद्यालय के वित्तीय और सम्बद्ध क्रियाकलापों पर पर्यवेक्षण और पारदर्शिता लाने के लक्ष्य के लिए है, प्रस्तावित विधेयक वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 38 और 39 का संशोधन करने के लिए है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2024

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

(शरद कुमार लगवाल)  
सचिव (विधि)।

शिमला:  
तारीख: ....., 2024

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 22 of 2024.**

**THE MANAV BHARTI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)  
AMENDMENT BILL, 2024**

**ARRANGEMENT OF CLAUSES**

*Clauses:*

1. Short title.
2. Amendment of section 38.
3. Amendment of section 39.

**THE MANAV BHARTI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)  
AMENDMENT BILL, 2024**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009  
(Act No. 22 of 2009).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.**—This Act may be called the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

**2. Amendment of section 38.**—In section 38 of the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (hereinafter referred to as the “principal Act”) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly.” .

**3. Amendment of section 39.**—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign “The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly.” shall be added.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

Presently, there are 16 Private Universities under the control of Education Department which are established by the UGC Act, 1956. All the private Universities established in the State have the provision relating to checking and supervision of financial and related activities thereto for entire years assessment. Further, there is no provision to lay down the annual report and account of the respective private Universities in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha. It has, therefore, been recommended by the Subordinate Legislative Committee of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha to amend the relevant provision of the respective Private Universities Act.

The Manav Bharti University was established by making the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009. Thus keeping in view the said recommendations of the Subordinate Legislative Committee, which apparently aim at to bring proper supervision and transparency of the finances or allied activities of the said University, the proposed Bill seeks to amend section 38 and 39 of the Act *ibid* to achieve the desired objectives.

---

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

SHIMLA:

THE.....,2024.

---

**FINANCIAL MEMORANDUM**

-Nil-

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

-Nil-

---

**THE MANAV BHARTI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)  
AMENDMENT BILL, 2024**

A

BILL

*further to amend the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009  
(Act No. 22 of 2009) .*

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**  
*Secretary (Law).*

SHIMLA:

The.....2024.

2024 का विधेयक संख्यांक 23.

महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024  
खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 38 का संशोधन।
3. धारा 39 का संशोधन।

2024 का विधेयक संख्यांक 23.

महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन)  
संशोधन विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2013 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. **धारा 38 का संशोधन.**—महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।"

3. **धारा 39 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,—

"सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी", शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः 16 प्राइवेट विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसार स्थापित किए गए हैं। राज्य में स्थापित सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों में सम्पूर्ण निर्धारण वर्ष के लिए वित्तीय और अन्य सहबद्ध क्रियाकलापों के परीक्षण और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित उपबंध हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदन के समक्ष सहबद्ध प्राइवेट विश्वविद्यालयों की अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्ट/वार्षिक लेखे रखे जाने का कोई भी उपबन्ध नहीं है। अतः हिमाचल प्रदेश विधान



सभा की अधीनस्थ विधायी समिति ने सम्बन्धित प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के सुसंगत उपबन्धों का संशोधन करने की सिफारिश की है।

महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय की स्थापना महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 को अधिनियमित कर की गई थी। अतः अधीनस्थ विधायी समिति की उक्त सिफारिशों के दृष्टिगत जो स्पष्ट रूप से उक्त विश्वविद्यालय के वित्तीय और सम्बद्ध क्रियाकलापों पर पर्यवेक्षण और पारदर्शिता लाने के लक्ष्य के लिए है, प्रस्तावित विधेयक वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 38 और 39 का संशोधन करने के लिए है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2024.

-----

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

-----

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

-----

महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन)  
संशोधन विधेयक, 2024

महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2013 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(रोहित ठाकुर)  
प्रभारी मंत्री।

-----

(शरद कुमार लगवाल)  
सचिव (विधि)।

शिमला:

तारीख: ....., 2024.

Bill No. 23 of 2024

**THE MAHARAJA AGRASEN UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND  
REGULATION) AMENDMENT BILL, 2024**

## ARRANGEMENT OF CLAUSES

*Clauses:*

1. Short title.
2. Amendment of section 38.
3. Amendment of section 39.

Bill No. 23 of 2024

**THE MAHARAJA AGRASEN UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND  
REGULATION) AMENDMENT BILL, 2024**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Maharaja Agrasen University (Establishment and Regulation) Act, 2012 (Act No. 15 of 2013).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.**—This Act may be called the Maharaja Agrasen University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

**2. Amendment of section 38.**—In section 38 of the Maharaja Agrasen University (Establishment and Regulation ) Act, 2012 (hereinafter referred to as the “principal Act”) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly.” .

**3. Amendment of section 39.**—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign “The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly.” shall be added.

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

Presently, there are 16 Private Universities under the control of Education Department which are established by the UGC Act, 1956. All the private Universities established in the State have the provision relating to checking and supervision of financial and related activities thereto for entire years assessment. Further, there is no provision to lay down the annual report and account of the respective private Universities in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha. It has, therefore, been recommended by the Subordinate Legislative Committee of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha to amend the relevant provision of the respective Private Universities Act.

The Maharaja Agrasen University was established by making the Maharaja Agrasen University (Establishment and Regulation) Act, 2012. Thus keeping in view the said recommendations of the Subordinate Legislative Committee, which apparently aim at to bring proper supervision and transparency of the finances or allied activities of the said University, the proposed Bill seeks to amend section 38 and 39 of the Act *ibid.* to achieve the desired objectives.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

SHIMLA:

THE.....2024.

**FINANCIAL MEMORANDUM**

-Nil-

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

-Nil-

**THE MAHARAJA AGRASEN UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2024**

A

BILL

*further to amend the Maharaja Agrasen University (Establishment and Regulation) Act, 2012 (Act No. 15 of 2013).*

**(ROHIT THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**  
*Secretary (Law).*

SHIMLA:

The.....2024.

## हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अधिसूचना

दिनांक, 10 सितम्बर, 2024

सं0वि0स0-विधायन-प्रा10/1-1/2023.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा दिनांक 10 सितम्बर, 2024 को सम्पन्न हुई बैठक की समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

यश पाल शर्मा,  
सचिव,  
हि0 प्र0 विधान सभा।

## HIMACHAL PRADESH FOURTEENTH VIDHAN SABHA

## NOTIFICATION

*Dated, the 10th September, 2024*

**No.V.S.-Legn.-Pri/1-1/2023.**—The Himachal Pradesh, Legislative Assembly adjourned Sine-die *w.e.f.* the close of its sitting held on the 10th September, 2024.

YASH PAUL SHARMA,  
*Secretary,*  
*H.P. Vidhan Sabha.*

## CHANGE OF NAME

I, Anjna Kumari (55) w/o Raj Kumar, r/o Village Garuhi, P.O. Bhararu, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi-175 015 (H.P.) do hereby declare that in my Aadhar card my name inadvertently written as Anju Bhandari instead of my true and correct name *i.e.* Anjna Kumari.

ANJNA KUMARI  
*w/o Raj Kumar,*  
*r/o Village Garuhi, P.O. Bhararu,*  
*Tehsil Joginder Nagar, District Mandi (H.P.).*